

कार्यालय:- मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें-2/179

/अतिथि शिक्षक/2020-21/

दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या -284- 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0-104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी0सी0-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक-सेवा-2/6031/गेस्ट टीचर/2020-21 दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-11 में अंकित विद्यालय में स0अ0एल0टी (हिन्दी) के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थायी रूप से तैनात किया जाता है:-

स0अ0एल0टी0 हिन्दी (सामान्य-शाखा)

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्रीमती गीता पन्त	श्री रमेश चन्द्र पंत ग्राम छुवापे पो0 बरदाखान	महिला	26-09-1986	Gen	-	स्नातक/ बी0एड0	77.245	हिन्दी	रा0इ0का0 डोबाभागू
2	श्री नवीन चन्द्र पुनेठा	श्री मथुरा दत्त पुनेठा ग्राम- सौज विष्ट पो0 फूंगर द्वारा जी0आई0सी0 रोड कनलगाव	पुरुष	30-07-1984	Gen	-	स्नातक/ बी0एड0	74.22	हिन्दी	रा0इ0का0 टनकपुर
3	श्री संजय कुमार	श्री हयात राम ग्राम गुमौद पो0बापरू	पुरुष	26-04-1986	Sc	-	स्नातक/ बी0एड0	72.042	हिन्दी	रा0इ0का0 अमोडी
4	ज्योति जोशी	श्री इन्द्रमणि जोशी ग्राम कन्यूडा बिरगुल द्वारा डेक निवास एस0डी0एम0 कोर्ट लोहाघाट	महिला	15-01-1985	Gen	-	स्नातक/ बी0एड0	71.97	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 आमबाग
5	संगीता	श्री सुरेन्द्र राम ग्राम व पो0 भुम्बाडी	महिला	04-06-1991	Sc	-	स्नातक/ बी0एड0	70.30	हिन्दी	रा0इ0का0 धुनाघाट
6	राखी गहतोडी	श्री सतीश चन्द्र गहतोडी निवास सैरीगैर पो0 लोहाघाट	महिला	11-08-1984	Gen	-	स्नातक/ बी0एड0	69.934	हिन्दी	रा0इ0का0 किमतोली

4

123

7	श्री ललित मोहन गोस्वामी	श्री नारायण नाथ गोस्वामी ग्राम ढडीगाँव पो० इज्जा द्वारा ग्राम-कल्याणपुर पो० नानकमत्ता	पुरुष	10-08-1989	Obc	—	स्नातक/बी०एड०	69.852	हिन्दी	रा०इ०का० मंच
8	गुंजन सगटा	श्री विनीत कुमार सगटा ग्राम- नसखोला पो० मल्ला खतेड़ा द्वारा फनीहिल चानमारी	महिला	01-03-1990	Gen	—	स्नातक/बी०एड०	66.494	हिन्दी	रा०इ०का० कर्णकरायत
9	श्री दया नन्द प्रसाद	श्री रमेश राम ग्राम कामाजूला पो० रैघाव	पुरुष	10-05-1990	Sc	—	स्नातक/बी०एड०	64.579	हिन्दी	रा०इ०का० सूखीढांग
10	श्री सत्य प्रकाश जोशी	श्री गोपाल दत्त जोशी ग्राम पम्दा पो०ओ० बाराकोट	पुरुष	27-06-1986	Gen	—	स्नातक/बी०एड०	63.271	हिन्दी	रा०उ०मा०वि० कजीनापुनौली
11	अन्जूरानी	श्री दसमीराम कर्मचारी कालोनी वार्ड न० 6 टनकपुर	महिला	25-06-1989	Sc	—	स्नातक/बी०एड०	56.90	हिन्दी	रा०उ०मा०वि० बस्तिया

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:-

- मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है-
(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.
(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.
- उक्त आदेश मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
- यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
- गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू० 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।
उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम-11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



LB

(आर०सी०पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत

पू० संख्या/सेवायें-2/ १५५६-५४ /अतिथि शिक्षक/2020-21/ तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली-भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबन्धित करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालय:- मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें-2/

120

/अतिथि शिक्षक/2020-21/

दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या -284- 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0-104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी0सी0-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक-सेवा-2/6031/गेस्ट टीचर/2020-21 दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-11 में अंकित विद्यालय में स0अ0एल0टी0 (गणित) के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थायी रूप से तैनात किया जाता है:-

स0अ0एल0टी0 गणित (सामान्य-शाखा)

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्री विकास जोशी	श्री चरणदत्त जोशी कार्की फार्म आमबाग रोड टनकपुर	पुरुष	08-03-1986	Gen	-	स्नातक/ बी0एड0	79.16	गणित	रा0इ0का0 भिंगराडा
2	आभा जोशी	श्री पियूष चन्द्र जोशी ग्राम-बचकोट पो0ओ0 तामली द्वारा श्री कीर्ति बल्लभ सकटा ग्राम खर्क कार्की पो0ओ0 चम्पावत	महिला	01-02-1985	Gen	-	स्नातक/ बी0एड0	75.78	गणित	रा0इ0का0 लोहाघाट
3	रुबी अग्रवाल	श्री विकास अग्रवाल वार्ड न0 3 आनन्द सदन टनकपुर	महिला	29-06-1979	Gen	-	स्नातक/ बी0एड0	75.47	गणित	रा0इ0का0 टनकपुर
4	रेनू भट्ट	श्री अनिल चन्द प्लाट न0 97 ग्राम मनहार गोठ (बिचई) पो0टनकपुर	महिला	31-03-1988	Gen	-	स्नातक/ बी0एड0	72.67	गणित	रा0इ0का0 पाटी

R

12

5	श्री पंकज सिंह	श्री नारायण सिंह ग्राम-फागपुर पो0चन्दनी	पुरुष	27-01-1990	Gen	—	स्नातक/ बी0एड0	69.93	गणित	रा0इ0का0 मरु
6	कु0 बबीता पाण्डेय	श्री कृष्णानन्द पाण्डेय ग्राम कनलगाँव पो0 चम्पावत	महिला	22-07-1987	Gen	—	स्नातक/ बी0एड0	66.40	गणित	रा0इ0का0 कर्णकरायत

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:-

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है-

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।

3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।

4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/- (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम-11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

P

L3

153
(आर०सी०पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

पू० संख्या/सेवायें-2/ 9559-69 /अतिथि शिक्षक /2020-21/ तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली-भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबन्धित करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालय:- मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें-2/ 181

/अतिथि शिक्षक /2020-21/

दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या -284- 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0-104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी0सी0-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक-सेवा-2/6031/गेस्ट टीचर/2020-21 दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-11 में अंकित विद्यालय में स0अ0एल0टी0 (अंग्रेजी) के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता है:-

स0अ0एल0टी0 (अंग्रेजी) सामान्य-शाखा

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN / SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्रीमती मनीषा गोस्वामी	श्री जगदीश नाथ कालौनी इन्द्रा नगर 2 कार रोड लालकुआँ द्वारा गोरल चौड़ वार्ड नियर पी0डब्लु0डी0 आफिस चम्पावत	महिला	05-01-1991	Obc	-	स्नातक/ बी0एड0	72.59	अंग्रेजी	रा0इ0का0 अमोडी
2	श्रीमती कविता डेक	श्री प्रदीप सिंह ग्राम- काकड पो0 बाराकोट	महिला	02-06-1990	Gen	-	स्नातक/ बी0एड0	68.99	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 लुवाकोट
3	नूरीन हसनैन	हसनैन मियां अंसारी बार्ड न0 2 टनकपुर	महिला	11-06-1987	Obc	-	स्नातक/ बी0एड0	68.65	अंग्रेजी	रा0इ0का0 स्वांला
4	श्री दरबान कुमार	श्री नारायण राम ग्राम- तडीगांव पो0 गल्लागाँव	पुरुष	01-05-1983	Sc	-	स्नातक/ बी0एड0	67.579	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 बांस

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:-

- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है-





- (VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.
- (IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/- (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।
उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम-11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

13
(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

पू0 संख्या/सेवार्ये-2/ 9570-80 /अतिथि शिक्षक/2020-21/ तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली-भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबन्धित करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालय:- मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें-2/ 182 /अतिथि शिक्षक /2020-21/

दिनांक 90 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या -284- 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0-104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी0सी0-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक-सेवा-2/6031/गेस्ट टीचर/2020-21 दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-11 में अंकित विद्यालय में स0अ0एल0टी0 (विज्ञान) के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता है:-

स0अ0एल0टी0 (विज्ञान) सामान्य-शाखा

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मोनिका तिवारी	श्री मनोज कुमार तिवारी डी 3-34 एन.एच.पी.सी0 बनबसा	महिला	30-06-1992	Gen	-	स्नातक/ बी0एड0	72.12	विज्ञान	रा0इ0का0 सैलानीगोठ
2	सविता	श्री अम्बादत्त गडकोटी ग्राम कर्नाटक गांव पो0 खेतीखान	महिला	13-07-1987	Gen	-	स्नातक/ बी0एड0	70.856	विज्ञान	रा0इ0का0 धूनाघाट
3	श्री कुलदीप पन्त	श्री विनोद चन्द्र पंत विष्णुपुरी कालौनी वार्ड न0 2 टनकपुर	पुरुष	29-03-1986	Gen	-	स्नातक/ बी0एड0	69.23	विज्ञान	रा0इ0का0 स्वांला
4	श्री हरी सिंह	श्री हयात सिंह ग्राम-सिमलखेत पो0 सिमलखेत	पुरुष	29-08-1977	Gen	-	स्नातक/ बी0एड0	68.476	विज्ञान	रा0इ0का0 बरदाखान

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:-

- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है-

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

LS3

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly selected guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू० 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम-11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(आ०सी०पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत

पू० संख्या/सेवायें-2/ 9581-91 /अतिथि शिक्षक/2020-21/ तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली-भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबन्धित करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालय:- मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें-2/

183

/अतिथि शिक्षक /2020-21/

दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या -284- 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0-104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी0सी0-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक-सेवा-2/6031/गेस्ट टीचर/2020-21 दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-11 में अंकित विद्यालय में स0अ0एल0टी0 (सामान्य) के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता है:-

स0अ0एल0टी0 (सामान्य) सामान्य-शाखा

क्र 0 सं 0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN / SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्री दीपक चन्द्र जोशी	श्री अम्बादत्त जोशी ग्राम व पो0 बिरगुल	पुरुष	14-06-1991	Gen	-	स्नातक/ बी0एड0	73.87	सामान्य	रा0उ0मा0वि0 आमबाग
2	पुष्पा जोशी	श्री प्रेम बल्लभ जोशी बार्ड न0 पंचमुखी मन्दिर टनकपुर	महिला	26-10-1991	Gen	-	स्नातक/ बी0एड0	68.73	सामान्य	रा0इ0का0 सैलानीगोट
3	श्री सुभाष राम	श्री हरीश राम ग्राम व पो0 भुम्बाडी	पुरुष	04-09-1987	Sc	-	स्नातक/ बी0एड0	62.628	सामान्य	रा0इ0का0 बरदाखान

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:-


- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है-
- (VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.



183

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/- (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।
उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम-11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

पू0 संख्या/सेवायें-2/ 9592-9601 /अतिथि शिक्षक/2020-21/ तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली-भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबन्धित करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालय:- मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें-2/ 184 /अतिथि शिक्षक /2020-21/

दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या -284- 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0-104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी0सी0-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक-सेवा-2/6031/गेस्ट टीचर/2020-21 दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-11 में अंकित विद्यालय में स0अ0एल0टी0 (व्यायाम) के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता है:-

स0अ0एल0टी0 (व्यायाम) सामान्य-शाखा

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्री कमलेश सिंह महारा	श्री राजेन्द्र सिंह महारा ग्राम- तल्ला थुवा महारा पो0 कर्णकरायत द्वारा निकट जी.आई. सी. मैदान तल्ली चानमारी	पुरुष	05-04-1989	Gen	-	स्नातक/ बी0पी0एड0	54.384	व्यायाम	रा0इ0का0 जानकीधर
2	श्री दिनेश सिंह	श्री रामसिंह ग्राम- भैरसक पो0 देवीधुरा	पुरुष	15-07-1986	Gen	-	स्नातक/ बी0पी0एड0	51.448	व्यायाम	रा0इ0का0 खेतीखान
3	श्रीमती प्रियंका वर्मा खर्कवाल	श्री जगदीश खर्कवाल ग्राम-बिचई पो0 टनकपुर	महिला	24-10-1981	Gen	-	स्नातक/ बी0पी0एड0	48.36	व्यायाम	रा0इ0का0 सैलानीगोठ
4	श्री कृष्णा नन्द जोशी	श्री जयदत्त जोशी ग्राम- मौराड़ी पो0 मौराड़ी	पुरुष	10-05-1985	Gen	-	स्नातक/ बी0पी0एड0	48.02	व्यायाम	रा0उ0मा0वि0 फुंगर
5	श्री हिमांशु गडकोटी	श्री महेश चन्द्र गडकोटी वार्ड न0 7 सीमेन्ट रोड टनकपुर	पुरुष	12-12-1974	Gen	-	स्नातक/ बी0पी0एड0	47.39	व्यायाम	रा0इ0का0 चल्थी

२

13

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:-

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है-
- (VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.
- (IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.
2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।
उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम-11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

LC
(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

पु0 संख्या/सेवार्ये-2/ 9602-13 /अतिथि शिक्षक/2020-21/ तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली-भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबन्धित करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालय:- मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें/2/

185

/अतिथि शिक्षक /2020-21/

दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या -284- 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0-104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी0सी0-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक-सेवा-2/6031/गेस्ट टीचर/2020-21 दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-11 में अंकित विद्यालय में स0अ0एल0टी0 (कला) के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता है:-

स0अ0एल0टी0 (कला) सामान्य-शाखा

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्री हरीश चन्द्र भट्ट	श्री प्रेम बल्लभ भट्ट ग्राम नंदोला पो0 सैन्दर्क	पुरुष	10-04-1987	Gen	-	स्नातकोत्तर/बी0एड0	61.39	कला	रा0उ0मा0वि0 रियांसी
2	श्री मनोज पाण्डेय	श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय ग्राम मडलक (खर्ककार्की) पो0व जिला चम्पावत	पुरुष	07-03-1982	Gen	-	स्नातकोत्तर	60.24	कला	रा0इ0का0 सिप्टी
3	ममता बोहरा	श्री जोध सिंह बोहरा ग्राम पुनियाल पो0 मऊ	महिला	25-11-1988	Gen	-	स्नातक	48.823	कला	रा0इ0का0 बाराकोट
4	श्री विजेन्द्र मथेला	श्री केशव दत्त मथेला टाक बल्वाडी पो0 धूनाघाट द्वारा भैरव दत्त ओली मल्ली गोसनी खेतीखान	पुरुष	12-11-1984	Gen	-	स्नातकोत्तर	46.83	कला	रा0उ0मा0वि0 नरसिंहडांडा
5	श्री राजेन्द्र सिंह अधिकारी	श्री शिवराज सिंह अधिकारी ग्राम काकड पो0 बाराकोट	पुरुष	13-01-1988	Gen	-	स्नातकोत्तर/बी0एड0	46.02	कला	रा0इ0का0 कर्णकरायत
6	रूचि पाटनी	श्री हेम चन्द्र पाटनी तल्ली चानमारी पो0 लाहाघाट	महिला	10-10-1987	Gen	-	स्नातक/ बी0एड0	45.868	कला	रा0इ0का0 सुई

AP

LB

7	कंचल मोर्य	श्री राकेश सिंह डोगपुरी कालोनी गदरपुर	महिला	26-06-1989	Obc	-	स्नातक / बी०एड०	45.704	कला	रा०उ०मा०वि० आमबाग
8	श्री चतुर राम	श्री पनीराम ग्राम खरही (कोट) पो० भिंगराड़ा	पुरुष	05-06-1988	Sc	-	स्नातक / बी०एड०	44.802	कला	रा०उ०मा०वि० गोली
9	श्री भुवन चन्द्र	श्री जीतराम ग्राम बैडाओड पो०इजडा तहसील बाराकोट	पुरुष	15-08-1973	Sc	-	स्नातकोत्तर / बी०एड०	44.004	कला	रा०उ०मा०वि० कोठेश
10	श्री चन्द्र सिंह	श्री शेर सिंह ग्राम गायकाज्यूला पो० मऊ	पुरुष	25-05-1989	Gen	-	स्नातकोत्तर	42.847	कला	रा०इ०का० किमतोली
11	कमला लोहिया	श्री सुरेश राम ग्राम खरही (कोट) पो० भिंगराड़ा	महिला	16-05-1989	Sc	-	स्नातक / बी०एड०	42.628	कला	रा०उ०मा०वि० उंचौलीगोट
12	श्री कपिल देव उपाध्याय	श्री खुशीराम उपाध्याय ग्राम व पो० नानकमत्ता तहसील सितारगंज	पुरुष	01-11-1980	Gen	-	स्नातक / बी०एड०	40.698	कला	रा०इ०का० गैंडाखाली
13	श्री सुजल कुमार व्यापारी	श्री सुर्याकान्त व्यापारी शक्ति फार्म बाजार सितारगंज द्वारा शक्ति फार्म बाजार वार्ड (शिव मन्दिर) सितारगंज	पुरुष	12-05-1985	Gen	-	स्नातकोत्तर	37.792	कला	रा०इ०का० विविल
14	श्री शमशेर गिरी	श्री कुन्दन गिरी ग्राम- गोविन्द नगर पो० शक्तिफार्म	पुरुष	13-07-1984	Obc	-	स्नातकोत्तर	36.607	कला	रा०इ०का० मडलक

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:-

1. मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है-

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।
उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम-11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

^{LB}
 (आर0सी0पुरोहित)
 मुख्य शिक्षा अधिकारी
 चम्पावत।

पृ0 संख्या/सेवायें-2/ ⁹⁶¹⁴⁻³⁴ /अतिथि शिक्षक /2020-21/ तददिनांक।
 प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली-भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबन्धित करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाय।

/
 मुख्य शिक्षा अधिकारी
 चम्पावत।

कार्यालय:- मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें-2/ 186 /अतिथि शिक्षक/2020-21/ दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या -284- 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0-104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी0सी0-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक-सेवा-2/6031/गेस्ट टीचर/2020-21 दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-11 में अंकित विद्यालय में स0अ0एल0टी0 (अंग्रेजी) के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता है:-

स0अ0एल0टी0 (अंग्रेजी) महिला-शाखा

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उप श्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	नेहा जोशी	श्री नन्दन कुमार जोशी निकट प्राइमरी स्कूल कजाबाग खटीमा	महिला	01-07-1992	Gen	-	स्नातक/ बी0एड0	80.92	अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 टनकपुर
2	श्रीमती मीना	श्री मनोज कुमार ग्राम बरमतोड़ा पो0 धूनाघाट	महिला	05-05-1987	Sc	-	स्नातक बी0एड0	63.264	अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 लोहाघाट

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:-

- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है-

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

CP

12

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly selected guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/- (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम-11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


(अरुण सिंह पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

पू0 संख्या/सेवायें-2/ 9635-41 /अतिथि शिक्षक /2020-21/ तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली-भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबन्धित करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालय:- मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें-2/ 187 /अतिथि शिक्षक/2020-21/

दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या -284- 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0-104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी0सी0-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक-सेवा-2/6031/गेस्ट टीचर/2020-21 दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-11 में अंकित विद्यालय में स0अ0एल0टी0 (व्यायाम) के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता है:-

स0अ0एल0टी0 (व्यायाम) महिला-शाखा

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मंजू विष्ट	श्री एस0एस0 खोलिया चन्द फार्म पो0 चन्दनी बनबसा	महिला	08-06-1981	Gen	-	स्नातक/ बी0पी0एड0	46.87	व्यायाम	रा0बा0इ0का0 टनकपुर

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:-

- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है-
(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.
(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

(Signature)

(Signature)

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/- (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।
उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम-11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


 (आरोसी0पुरोहित)
 मुख्य शिक्षा अधिकारी
 चम्पावत

9642-49
पू0 संख्या/सेवायें-2/ /अतिथि शिक्षक/2020-21/ तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली-भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबन्धित करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


 मुख्य शिक्षा अधिकारी
 चम्पावत।

कार्यालय:- मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें-2/

188

/अतिथि शिक्षक/2020-21/

दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या -284- 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0-104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी0सी0-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक-सेवा-2/6031/गेस्ट टीचर/2020-21 दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-11 में अंकित विद्यालय में स0अ0एल0टी0 (विज्ञान) के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता है:-

स0अ0एल0टी0 (विज्ञान) महिला-शाखा

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उप श्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	डा0 लता राना	श्री गजेन्द्र कुमार राना पनिया उड्यार रानीधारा अल्मोडा द्वारा आनन्दी सदन नियर कठघरिया चौराहा हल्द्वानी।	महिला	15-01-1983	Gen	-	स्नातक/ बी0एड0	67.14	विज्ञान	रा0बा0इ0का0 चम्पावत

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:-

- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है-
(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.
(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2

LB

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम-11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

163
(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

पू0 संख्या/सेवायें-2/ 9650-57 /अतिथि शिक्षक /2020-21/ तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त, अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली-भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबन्धित करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालय:- मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें-2/ 189 /अतिथि शिक्षक/2020-21/

दिनांक 20 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या -284- 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0-104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी0सी0-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक-सेवा-2/6031/गेस्ट टीचर/2020-21 दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-11 में अंकित विद्यालय में स0अ0एल0टी0 (संस्कृत) के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता है:-

स0अ0एल0टी0 (संस्कृत) महिला-शाखा

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उप श्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कविता टम्टा	श्री मुकेश कुमार ग्राम तल्ली छीनी पो0 टनकपुर	महिला	28-05-1989	Sc	-	स्नातक/ बी0एड0	70.26	संस्कृत	रा0बा0इ0का0 टनकपुर

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:-

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है-

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

CP

12

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।

उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम-11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


 (आर0सी0पुरोहित)
 मुख्य शिक्षा अधिकारी
 चम्पावत।

9858-65

पू0 संख्या/सेवायें-2/ /अतिथि शिक्षक/2020-21/ तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली-भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबन्धित करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


 मुख्य शिक्षा अधिकारी
 चम्पावत।

कार्यालय:- मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।

आदेश संख्या/सेवायें-2/

190

/अतिथि शिक्षक/2020-21/

दिनांक

नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या -284- 286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश सं0-104(1)/XXIV-B-1/2020-32(01)/2013 टी0सी0-5 दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त अनुमति एवं निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/18-32(01)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2018 एवं निदेशालय के पत्रांक-सेवा-2/6031/गेस्ट टीचर/2020-21 दिनांक 22 जुलाई, 2020 के क्रम में गेस्ट टीचर के रूप में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-11 में अंकित विद्यालय में स0अ0एल0टी0 (गणित) के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता है:-

स0अ0एल0टी0 (गणित) महिला शाखा

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/ SC/ ST/ OBC)	आरक्षित उपश्रेणी (PH/ EX/ FF)	शैक्षिक योग्यता	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	तैनाती के विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	दीपिका विष्ट	श्री योगेश चन्द्र जोशी ग्राम मेहला पो0 पातलीबगड़ तहसील सोमेश्वर द्वारा बार्ड न0 54 बडी मुखानी हल्द्वानी नैनीताल	महिला	14-11-1991	Gen	-	स्नातक/ बी0एड0	76.234	गणित	रा0बा0इ0का0 टनकपुर

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:-

- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है-

(VIII) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

(IX) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

P

13

2. उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
3. यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/ स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
4. गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15000/- (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।
उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कॉलम-11 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।

9666-73

पू0 संख्या/सेवायें-2/ /अतिथि शिक्षक /2020-21/ तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
3. कोषाधिकारी चम्पावत।
4. वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा जनपद चम्पावत।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली-भांति मिलान करने के उपरान्त नोटरी शपथ पत्र में अनुबन्धित करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
चम्पावत।